प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023..............
प्र0सू0रि0 सं. ....120/2023........ दिनांक 13/5/2023

2.(i) अधिनियम.....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें .... 7 .....
(ii) अधिनियम..धारायें..
(iii) अधिनियम... धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.........................269........ समय 12:45PM
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 12.05.2023 समय ....2.32 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से उत्तर दिशा में करीब 60 किलोमीटर
(ब) पता :– कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री शेरसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रोहिताश्व सिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 24 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी गांव बबाई, पुलिस थाना खेतडी जिला झुंझुनूं ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री सन्दीप कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र–40 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 20, उदयपुरवाटी, पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...............................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 11,500 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें, श्रीमान् अतिरक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीकर, विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै शेरसिंह बबाई तहसील खेतडी रहने वाला हूँ। मै सोनोग्राफी रजिस्ट्रेशन के लिये करीब एक माह पहले फाईल सीएमएचओ ऑफिस झुंझुनूं लगाई थी, एक माह तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और कल सीएमएचओ ऑफिस से सन्दीप नाम के कर्मचारी ने मेरे मोबाईल 7240424044 पर उसके नम्बर 9414837011 से फोन आया और कहा कि आप कल आ जावों मिलकर बात करेगें, वह मेरे से रिश्वत लेकर काम करना चाहता है। मैं उसको रिश्वत नहीं देना चाहता। कल मैं वहॉ जाउंगा तो मेरे साथ कार्यवाही हो किसी अधिकारी/कर्मचारी को भेजने की कृपा करें, ताकि मै रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने की कौशिश करू, रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी– शेरसिंह पुत्र श्री रोहिताश्व सिंह गोव बबाई पुलिस थाना खेतडी, मोबाईल नम्बर 7240424044, दिनांक 04.04.23, एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक कार्यवाही शुरू की जाती है दिनांक 04. 04.2023, एसडी–सुभाषचन्द, एसडी–बाबूलाल दिनांक 12.05.2023

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

<u>04.04.2023</u>
3.00 पीएम इस समय परिवादी श्री शेरसिंह पुत्र श्री रोहिताश, जाति जाट, उम्र–24 वर्ष, निवासी गांव बबाई, पुलिस थाना खेतडी जिला झुंझुनूं ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनूं में श्री सन्दीप नाम के व्यक्ति से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मंगवाकर उसे बन्द करने व चालू करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने आईन्दा दिनांक 05.04.2023 को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कही जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। आईन्दा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी– सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक।

परिवाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मामला रिश्वत की लेनदेन का बनना पाये जाने पर रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु दिनांक 05.04.2023 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर टेप रिकार्डर को चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। टेप रिकार्डर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी के चाहेनुसार झुंझुनूं भिजवाया गया, परन्तु उस दिन परिवादी द्वारा पूर्व में ही आरोपी से मिलने तथा आरोपी द्वारा परिवादी की पत्रावली में एतराज पूर्ति करने की कहने पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य वार्ता नहीं हुई। तत्पश्चात दिनांक 10.04.2023 को रिश्वत की मांग के सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्रीमती सुशीला महिला कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी के चाहेनुसार झुंझुनूं भेजी गई, परन्तु उस दिन भी परिवादी द्वारा पूर्व में ही आरोपी से मिलने तथा आरोपी द्वारा परिवादी की पत्रावली में एतराज पूर्ति करने की कहने पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य वार्ता नहीं हुई।

तत्पश्चात दिनांक 17.04.2023 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्रीमती सुशीला महिला कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के पास झुंझुनूं भेजी गई। उस दिन श्रीमती सुशीला महिला कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। टेप रिकार्डर को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि नहीं हुई। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 11.05.2023 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय दूसरा मेमोरी कार्ड के टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के पास झुंझुनूं भेजा। उस दिन श्री रामनिवास कानि. मय परिवादी श्री शेरसिंह उपस्थित कार्यालय आये, कानि. रामनिवास ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैने झुंझुनूं में पहूँच परिवादी से सम्पर्क सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनूं के पास परिवादी श्री शेरसिंह को टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर दिया तथा उसके सीएमएचओ कार्यालय से बाहर आने पर वापिस प्राप्त कर लिया। परिवादी ने बताया कि "मैने टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. से प्राप्त कर श्री सन्दीप से सीएमएचओ कार्यालय में जाकर वार्ता की तो उसने सोनोग्राफी का लाईसेंस दिलवाने के लिये 13,000 रूपये तथा तीन शराब की बोतल बतौर रिश्वत के रूप में देने की कही जिस पर मैने टेप रिकार्डर बन्द कर दो शराब की बोतल दूकान से लाया और वापिस टेप रिकार्डर चालू कर सन्दीप कुमार के पास जाकर उसे दी तथा रूपये कल दिनांक 12.05.23 को देने की कही।" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। आईन्दा वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जावेगा। टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। परिवादी को कल सुबह कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.05.2023 को परिवादी शेरसिंह एवं कार्यालय उप वन संरक्षक सीकर श्री सुभाषचन्द एवं श्री बाबूलाल सहायक कर्मचारीगण के उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय में मौजूद परिवादी शेरसिंह का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया

जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात श्री शेरसिंह ने हिदायत देने पर सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनूं के सन्दीप नाम के कर्मचारी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 26 नोट कुल 13,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0PN 729472
2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1DE 087392
3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2NV 077758
4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6BN 171549
5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6DD 025542
6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2FQ 011927
7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1ER 429235
8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7LC 239886
9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4RK 561207
10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3NM 347145
11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9CW 421606
12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2BT 847647
13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8GB 903233
14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5SF 342964
15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9AK 293695
16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1CS 683498
17. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2AN 981594
18. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2AN 981595
19. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8DK 267463
20. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9AS 164338
21. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2ME 257352
22. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5LM 614120
23. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9BK 927849
24. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4CT 676080
25. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3FQ 783240
26. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7MT 344612

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुभाषचन्द से परिवादी श्री शेरसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 13,000 रूपयों के नोट श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री शेरसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.04.2023 एवं 11.05.2023 का मेमोरी कार्ड हमराह लेकर मय परिवादी शेरसिंह, गवाहान श्री सुभाषचन्द एवं श्री बाबूलाल सहायक कर्मचारीगण, कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, मूलचन्द कानि. नं. 207 मय चालक श्री रूपेश कुमार के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के सीकर से रवाना होकर रेलवे स्टेशन झुंझुनूं के पास पहूँचा जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी शेरसिंह के मोबाईल नम्बर 7240424044 से आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर 9414837011 पर समय 12.58 पीएम पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तथा परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान आरोपी श्री सन्दीप कुमार ने परिवादी को कार्यालय में आने की कही, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं से करीब 100 मीटर पहले मुख्य सड़क पर पहूँचा, जहॉ परिवादी को आरोपी सन्दीप कुमार के पास पैदल–पैदल रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 02.32 पीएम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं के सामने मुख्य सड़क पर करीब 100 मीटर दूरी पर वाहन में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिस कॉल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं के भवन में प्रथम तल पर पहूँचा जहॉ कमरा नम्बर 32 के सामने परिवादी खड़ा मिला, जिसने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने कमरे में दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही सन्दीप कुमार है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से रिश्वती राशि के 13000 रूपये लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर उनमें से 1500 रूपये वापिस दे दिये तथा 11500 रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है'' इतने में ही कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने रिश्वती राशि को अपनी पहनी हुई पेट में से रूपयों को निकालकर सामने दिवार की तरफ फैंक दिये, जिसे गवाह श्री सुभाषचन्द से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं होना बताते हुये कहा कि ''मैने इनके कहने पर सोनोग्राफी मशीन दिलवाने के लिये है'' मौके पर ही परिवादी शेरसिंह ने श्री सन्दीप कुमार के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''ये झूँठ बोल रहे है, मेरी इनसे मशीन दिलाने के बारें में कभी कोई वार्ता नहीं हुई है, कल दिनांक 11.05.2023 को सत्यापन के दौरान इन्होने मुझे सोनोग्राफी का लाईसेंस दिलाने के लिये 13000 रूपये रिश्वत के मांगे तथा तीन शराब की बोतल देने की कही, तब मैने इनको दो शराब की बोतल दूकान से लाकर दी थी, मैने इनको कुछ रूपये कम कराने की कही तब इन्होने आज 1500 रूपये वापिस दिये है''

तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. नं. 207 एवं श्री कैलाशचन्द कानि. 386 के दोनों हाथों एवं दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक द्वारा फर्स पर फैके गये रूपये, जो गवाह श्री सुभाषचन्द से गिनवाये गये तो कुल 11,500 रूपये पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द

पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर निम्नानुसार अंकित है :–

1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6BN 171549
2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6DD 025542
3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2FQ 011927
4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1ER 429235
5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7LC 239886
6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4RK 561207
7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3NM 347145
8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9CW 421606
9. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2BT 847647
10. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8GB 903233
11. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5SF 342964
12. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9AK 293695
13. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1CS 683498
14. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2AN 981594
15. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2AN 981595
16. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 8DK 267463
17. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9AS 164338
18. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2ME 257352
19. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 5LM 614120
20. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 9BK 927849
21. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 4CT 676080
22. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 3FQ 783240
23. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 7MT 344612

उपरोक्त समस्त कुल 11,500 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक द्वारा परिवादी को वापिस लौटाये रूपये पेश करने की हिदायत देने पर परिवादी ने अपनी जेब से 1500 रूपये निकालकर पेश किये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर निम्नानुसार अंकित है :–

1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 0PN 729472
2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 1DE 087392
3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 2NV 077758

उपरोक्त समस्त कुल 1,500 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब, जिसमें से रिश्वती राशि बरामद की गई, को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं मिला। आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक की उक्त पेन्ट बरंग निली की पीछे की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''ए'' अंकित किया गया।

तत्पश्चात आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक को परिवादी के सोनोग्राफी के लाईसेंस के बारें में पूछा तो बताया कि ''इनके द्वारा लाईसेंस की अप्लाई करने पर समय समय पर मैने कमियां निकाली जिनकी इनके द्वारा पूर्ति करने पर दिनांक 28.04.

2023 को दूकान का निरीक्षण कर कल दिनांक 11.05.2023 को इनको रजिस्ट्रेशन फार्म–बी दे दिया, आज इनको सोफ्टवेयर से संबंधित जानकारी हेतु पासवर्ड लिखकर दिये है'' पूछने पर परिवादी ने आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक द्वारा लिखकर दिये गये पासवर्ड की एक पर्ची पेश की। उक्त पर्ची पर पीसीपीएनडीटी ईम्पेक्ट के यूजर नेम एवं पासवर्ड अंकित है। उक्त पर्ची पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज के लिफाफे में डालकर सील मोहर कर मार्क ''बी'' अंकित कर बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक को परिवादी की दूकान से संबंधित लाईसेंस की पत्रावली पेश करने पर इसने अपनी टेबल पर रखी पत्रावलियों में से निकालकर पेश की। उक्त पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से तक 59 की फोटो प्रति करवाकर डॉ0 दयानन्द सिंह कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं से प्रमाणित करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस ली गई। मूल पत्रावली डॉ0 दयानन्द सिंह को सुपुर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज, एवं सील्ड रिश्वती राशि जो आरोपी द्वारा परिवादी को वापिस लौटाई गई से संबंधित कागज, सील्ड पेन्ट का पैकेट मार्क ''ए'' एवं कागज की पर्ची का सील्ड लिफाफा मार्क ''बी'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया गया।

तत्पश्चात परिवादी शेरसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 17.04.2023 को श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपी, अन्वेषण एवं एफएसएल हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी शेरसिंह ने स्वंय की व श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी शेरसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 11.05.2023 को श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं से अलग–अलग दो बार हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपी, अन्वेषण एवं एफएसएल हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''डी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी शेरसिंह ने स्वंय की व श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी शेरसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन की मांग सत्यापन दिनांक 12.05.2023 को समय 12.58 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 7240424044 से श्री सन्दीप कुमार शर्मा के मोबाईल नम्बर 9414837011 पर कॉल लगवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया तथा परिवादी शेरसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 12.05.2023 को श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय

सीएमएचओ झुंझुनूं से आमने–सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 से रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी, अन्वेषण एवं एफएसएल हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ई" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी शेरसिंह ने स्वंय की व श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की है।

मौके की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। परिवादी को मौके पर छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर झुंझुनूं से रवाना होकर सीकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी का बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर में बन्द करवाने हेतु भिजवाया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री शेरसिंह से उसकी सोनोग्राफी की दूकान का लाईसेंस दिलवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.05.2023 को परिवादी से 13000 रूपये बतौर रिश्वत एवं तीन शराब की बोतल की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी ने दो बोतल शराब की प्राप्त करना, मांग के अनुसरण में दिनांक 12.05.2023 को रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी से 13000 रूपये प्राप्त कर परिवादी के चाहेनुसार 1500 रूपये परिवादी को वापिस लौटाकर शेष 11500 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री सन्दीप कुमार शर्मा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ झुंझुनूं के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला समन्वयक, पीसीपीएनडीटी, कार्यालय सीएमएचओ, झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 120/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 905-08 दिनांक 13.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, एनआरएचएम, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

13.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।